(194)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1350–दो/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19–08–2009 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 554/अ–76/2008–09/अपील

श्रीमती पार्वती बाई जोजे गंगाराम नामदेव,
निवासी– ग्राम मनेरी,जिला–मण्डला (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1– प्रबन्धक महोदय, इलाहाबाद बैंक, ग्राम मनेरी,मण्डला (म0प्र0)
2– नारायण आत्मज राधेलाल अग्रवाल,
निवासी–ग्राम बरेली तहसील व जिला जबलपुर हाल
मुकाम मनेरी तहसील निवास , जिला मण्डला (म0प्र0)
3– भंगीलाल बल्द गोरेलाल गौड़, निवासी– ग्राम चरगंवा
तहसील–निवास, जिला– मण्डला (म0प्र0)
4– दुर्गाप्रसाद आत्मज धनीराम दर्जी, साकिन मनेरी तहसील–निवास,
जिला– मण्डला (म0प्र0)
5– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 4
शेष अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 17-1-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अनुसूचित क्षेत्र, मनेरी जिला–मण्डला की स्थायी निवासी है। उसकी कास्तकारी जमीन मौजा कोहानी रकबा 2.52 हैक्टेयर ग्राम चरगांव

रकबा 0.60 हैक्टेयर तथा ग्राम कंटेगी में रकबा 2.31 हैक्टैयर जो कि फूलचन्द के नाम की है। अपनी जमीनों की उन्नति हेतु एवं कृषि कार्य हेतु आवेदिका एवं फूलचन्द नामदेव(स्व0) द्वारा ट्रेक्टर क्रय करने हेतु हलाहाबाद बैंक मनेरी से उपरोक्त कास्तकारी जमीन रहन रखकर 1,46,00/–(रुपये एक लाख छियालीस हजार) ट्रेक्टर हेतु लिये गये थे। ऋण संयुक्त खातों पर दिया गया था जिसके लिये आवेदिका एवं फूलचन्द नामदेव जिम्मेदार थे। दोनों द्वारा उक्त ऋण के एवज में इलाहाबाद बैंक मनेरी में ऋण अदा किया गया था, किन्तु कुछ रकम शेष रह जाने के बाद इलाहाबाद बैंक द्वारा आर0आर0सी0(वसूली) हेतु तैयार की गई, जिसकी जानकारी आवेदिका एवं फूलचन्द नामदेवी को नहीं दी गई और उक्त कास्तकारी जमीन कुर्की कर नीलाम कर दी गई । आवेदिका एवं फूलचन्द नामदेव को जब अपनी जमीनों की कुर्की/नीलामी की जानकारी मुनादी द्वारा प्राप्त होने पर तहसीलदार निवास के कार्यालय में वसूली कार्यवाही के सम्बध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई । किन्तु आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 04.10.2002 की वसूली के सम्बंध में की गई कार्यवाही पर समुचित ध्यान नहीं गया और आपत्तिकर्ता की भूमियों की नीलामी तहसीलदार निवास द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2002 द्वारा नीलामी आदेश का प्रमाणीकरण किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी निवास के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4/अ–76/02–03 पर पंजीबद्ध की गई । उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी निवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2002 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार निवास को प्रत्यावर्तित किया गया और निर्देश दिये गये कि वह सर्वप्रामि आपत्ति आवेदन का निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 13.11.02 के पालन में तहसीलदार निवास द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं अपने आदेश दिनांक 30.06.2004 द्वारा आवेदिका की आपत्ति पर विधिवत विचार किये बिना ही आवेदिका का प्रस्तुत आपत्ति निरस्त कर दी गई। तहसीलदार निवास के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा पुनः प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 11/अ–6/2003–04 अनुविभागीय अधिकारी निवास के न्यायालाय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी निवास ने आदेश दिनांक 10.10.2005 पारित किया एवं आवेदिका की आपील मात्र इस आधार पर खारिज की गई कि तहसीलदार निवास द्वारा आवेदिका की आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण कर आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी निवास के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपील अपर कलेक्टर मण्डल न्यायालय के समक्ष जानकारी दिनांक से निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 01.02.06

से 09.07.09 तक विचाराधीन रही। इसी बीच आवेदिका के अभिभाषक ने सलाह दी कि उपरोक्त प्रकरण आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इस कारण प्रकरण वापस प्राप्त करने का आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 09.07.2009 द्वारा प्रकरण वापस प्राप्त किया गया । अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा निर्धारित अवधि में अपील प्रकरण क्रमांक 524/अ–76/08–09 अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर को प्रस्तुत की गई। उपरोक्त अपील में अतिरिक्त जबलपुर द्वारा एक स्वेच्छाचारी आदेश दिनांक 19.08.2009 पारित कर अपील को मात्र इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.09 एवं अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.09 के बीच की अवधि के सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने यह समझने में पूर्णतः भूल की है कि भू–राजस्व संहिता की धारा 146 के तहत आवेदिका को मांग की सूचना जारी की जानी थी, किन्तु ऐसा नहीं गया जो कि विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकॉर्ड का अवलोकन न कर आवेदिका की अपील मनमाने ढंग से खारिज कर दी, जबकि संयुक्त रूप से लिये गये ऋण अदायगी का मांग–पत्र फूलचन्द नामदेव पर भी तामील किया जाना अति आवश्यक था तथा धारा 146 के प्रावधान के तहत था, किन्तु ऐसा न कर तहसीलदार ने घोर त्रुटि की है । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही के दौरान धारा 147 भू–राजस्व संहिता का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। आवेदिका को दिया गया ट्रेक्टर तथा आवेदिका की अन्य चल सम्पत्ति को कुर्क न कर और उसकी नीलामी न कर अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी कर दी गई जो कि विधि के विरूद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह ध्यान न देकर पूर्णतः भूमि की है दिनांक 02.01.1999 को बनाई गई आर0आर0सी0 तथा दिनांक 01.10.01 को आर0आर0सी0 पर कार्यवाही की गई । उक्त आर0आर0सी0 में मूल रकम का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया । न्यायालय में लगा समय सद्भावना पर आधारित होने से क्षमा योग्य है । साथ ही साथ आवेदिका द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील को समयसीमा में ग्राह्य कर आदेश पारित करने का निवेदन किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में परिसीमा

आवेदन–पत्र पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1, 2, 3 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक क्र0 4 की ओर से अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा आवेदिका अधिवक्ता के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि भूलवश द्वितीय अपील कलेक्टर मण्डला के समक्ष प्रस्तुत हो गई थी। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 09.07.09 को पारित आदेश से इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपील उनके न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। दिनांक 30.07.09 को अपील न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के समक्ष समय–सीमा में प्रस्तुत कर दी गई थी। अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2005 को पारित किया गया है। जिसकी अपील कलेक्टर मण्डला के समक्ष कब की गई, यह भी प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट नहीं है। दिनांक 10.10.2005 से कलेक्टर के आदेश दिनांक 09.07.09 के बीच की अवधि के संबंध में भी अधिवक्ता द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर ने अधिवक्ता का तर्क समाधानकारक न होने से अपील समय बाह्य होने से अमान्य की गई है। मैं अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा पारित आदेश 19.08.2008 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अत अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश